



1. सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत कोई नया मुकदमा दर्ज न करने का आदेश दिया।
2. लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया।
3. उप-राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपसमूह के तीनों ज़िलों के लिए क्षेत्रीय रिकॉर्ड सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन किया है।
4. द्वीपसमूह में लोगों की प्रकृति का आंकलन करने के लिए देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की गई है।
5. गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को उपराज्यपाल के प्रशस्ति प्रमाण-पत्र से सम्मानित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।



सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया।



लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है। विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार दिया गया है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्यन मंत्री नित्यौनंद राय ने कहा कि यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि उपश्मन और तैयारी संबंधी कारगर उपाय सुनिश्चित किए जाएं।



यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन के दूसरे दिन, उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के विकास और लोथल, गुजरात में आने वाले हेरिटेज मंडप में कैसे शामिल किया जाए, विषय पर एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता की।



उप-राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपसमूह के तीनों ज़िलों के लिए क्षेत्रीय रिकॉर्ड सर्वेक्षण समिति का पुनर्गठन किया है और अब इसे ज़िला रिकॉर्ड सर्वेक्षण समिति के नाम से जाना जाएगा। इस सिलसिले में उप-समितियों का भी पुनर्गठन किया गया है। ये उप-समिति ज़िला उपायुक्तों की अध्यक्षता में कार्य करेगी। समिति द्वीपों के इतिहास से संबंधित सर्वेक्षण के कार्यों के साथ-साथ रिकॉर्डों की सूची, उनका दस्तावेजीकरण, फोटो संकलन तथा हस्तलिपि को संग्रह करेगी। व्यक्तिगत लोग और निजी संस्थान जिनके पास द्वीपों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध हैं, वे व्यक्तिगत रूप से या फोन के जरिए अंडमान निकोबार अभिलेखागार या ज़िलों के उपायुक्तों से संपर्क कर सकते हैं। लोगों से प्राप्त दस्तावेजों को संरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। इतिहास से जुड़े दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने के लिए आने वाले खर्च को अंडमान निकोबार प्रशासन वहन करेगा। ऐसे लोगों और संस्थानों को क्षेत्रीय रिकॉर्ड सर्वेक्षण समिति की ओर से उचित सम्मान दिया जाएगा।



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है डिगलीपुर तहसील के पश्चिम सागर ग्राम पंचायत के पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्य, डिगलीपुर तहसील के नबाग्राम ग्राम पंचायत सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र नबाग्राम-1, फरारगंज तहसील के होप टाउन ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होप टाउन-1 और मायाबंदर तहसील के अंतर्गत पहलगांव ग्राम पंचायत के प्रधान निर्वाचन क्षेत्र के अविश्वास प्रस्ताव के कारण ग्राम पंचायतों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-चुनाव बारह जनवरी दो पच्चीस को घोषित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों से कहा गया है कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संपत्ति विरूपण निवारण विनियमन, 1987 का 1 के प्रावधानों का सही अर्थों में पालन करें, ताकि किसी भी कानूनी परिणाम से बचा जा सके। संपत्ति विनियमन या एम सी सी के किसी भी उल्लंघन की सूचना निदेशक, पंचायत और नगरपालिका चुनाव के कार्यालय को टेलीफोन नंबर-03192-238881 पर दे सकते हैं।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी अभियान- 'देश का प्रकृति परीक्षण अभियान' की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से देश के एक करोड़ से अधिक नागरिकों की प्रकृति का आंकलन करना है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और आयुष शाखा के सहयोग से महीने

भर चलने वाली इस प्रकृति परीक्षण अभियान का चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सकों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद, प्रतिभागियों को स्वास्थ्य परामर्श प्रदान की जाएगी। प्रतिभागी इसके अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। प्रकृति परीक्षण एक आयुर्वेदिक परीक्षा है, जो किसी व्यक्ति की प्राकृतिक संरचना की पहचान करती है। प्रकृति पर्यावरणीय परिस्थितियों, जीवनशैली विकल्पों, दवाओं और बीमारी के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया निर्धारित करती है। लोगों की वर्तमान जीवनशैली के कारण उत्पन्न बीमारी चिंता का विषय बन गई हैं। जीवनशैली विकारों की रोकथाम और उपचार में आयुर्वेदिक अवधारणाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक पी5 चिकित्सा सिद्धांतों को रेखांकित करता है। आम जनता अपनी प्रकृति का मूल्यांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी आयुष केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकृति परीक्षण ऐप को गूगल प्ले स्टोर या क्यूआर कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।



अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कला, वाणिज्य, शिक्षा, खेल, संस्कृति तथा सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले या सराहनीय सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को उपराज्यपाल के प्रशस्ति प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के नागरिकों और संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशस्ति प्रमाण-पत्र की पात्रता के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में से किसी एक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। आवेदक निर्धारित प्रपत्र में नाम, जन्म तिथि, व्यवसाय, पता और एक सौ पचास शब्दों में अपने कार्यों की जानकारी की सॉफ्ट कॉपी सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ तीन जनवरी शाम पांच बजे तक प्रशासन के सचिवालय के गोपनीय प्रकोष्ठ में जमा कर सकते हैं।



दूरदर्शन केन्द्र श्री विजयपुरम की ओर से लाइव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक का प्रसारण किया जाएगा। “सर्जन कमाण्डर एम. प्रेम दीप चौहान लोगों से संवाद करेंगे। विषय रहेगा— थाईरॉइड। दर्शक फोन नम्बर — 03192— 244745 और 217213 में डायल कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम शाम साढ़े पांच बजे होगा।



पर्यटन मौसम को देखते हुए सेल्यूलर जेल में अतिरिक्त ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम आज से लेकर अगले वर्ष दस जनवरी तक रात्रि आठ बजकर पचास मिनट से पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगी।



अबरडीन बाजार स्थित श्री वीर हनुमान मन्दिर में पन्द्रह से उनतीस तारीख तक तैत्तलिसवी वार्षिक लक्षार्चना पूजा का आयोजन किया जाएगा। पूजा प्रतिदिन सवेरे नौ, दस और ग्यारह बजे और शाम को पांच, छह और सात बजे होगी। तीस तारीख को भगवान श्री वीर हनुमान जयंती सवेरे आठ बजे से दस बजे तक आरती और हवन के साथ के सम्पन्न होगी और दोपहर बारह बजे अन्नदानम होगा। इसके अलावा इस दौरान मंगलवार, शनिवार और एक जनवरी दो हजार पच्चीस को विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा।



पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा द्वीप पर्यटन महोत्सव के भाग के रूप में अट्ठाईस दिसंबर को दोपहर दो बजे से शाम साढ़े चार बजे तक आई टी एफ ग्राउंड में पालतू पशु-शो का आयोजन करेगा। भाग लेने के इच्छुक पालतू पशु मालिक अपनी प्रविष्टियाँ मालिक का नाम, संपर्क, ईमेल, कुत्ते, बिल्ली का नाम, नस्ल, जन्मतिथि, लिंग, रंग, वजन और टीकाकरण रिकॉर्ड जैसे विवरणों के साथ ईमेल भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9531963655 पर संपर्क कर सकते हैं।

